अधिसूचना दिनांक 15.01.2016

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 13.01.2016

क्रमांक–58–मप्रविनिआ–2016– यतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–28, वर्ष 2005) की प्रथम नियंत्रण अवधि का समापन 31 मार्च, 2009 को हुआ, आयोग ने द्वितीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धांत तथा क्रियाविधियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में इन विनियमों में प्रथम पुनरीक्षण {आरजी–28(1), वर्ष 2009} दिनांक 30 अप्रैल, 2009 द्वारा दिनांक 8 मई, 2009, को अधिसूचित किया था। आयोग द्वारा चतुर्थ संशोधन दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा इस नियंत्रण अवधि को माह मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात्, आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, आयोग द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को पुनरीक्षण {आरजी – 28 (II), वर्ष 2012} अधिसूचित किया गया । अतएव, आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु, विद्युत पारेषण की निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु ये विनियम अधिसूचित किया जाना आवश्यक हो गया है;

अतएव, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(एच) तथा धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

अध्याय – एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण तृतीय) विनियम, 2016**

{आरजी–28(III), सन् 2016}'' है ।

1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा ।

1.3 ये विनियम दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावशील होंगे जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि में विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 31.3.2019 तक प्रभावशील रहेंगे।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

ये विनियम विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/खुली पहुंच उपभोक्ताओं की विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण प्रणाली की क्षमता का आवंटन यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अन्तर्गत किया गया हो, परन्तु ऐसी पारेषण प्रणाली पर लागू न होंगे जहां विद्युत्–दर अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की गई हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अपनाया गया हो।

3. प्रचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना :

शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोन्नत मानदण्ड विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे ।

4. परिभाषाएं :–

4.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) **''लेखांकन विवरण–पत्र''** से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण–पत्र, अर्थात्:–

(एक)) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I अथवा इसके संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्ररूप के अनुसार तैयार किया गया तुलन–पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक

विवरण–पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि आयोग समय–समय पर निर्देशित करे;

(दो) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II अथवा संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची की अर्हताओं के परिपालन में लाभ तथा हानि का लेखा;

(तीन) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़–प्रवाह विवरण –पत्र (कैश–फ्लो स्टेटमेन्ट) (एएस–3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षक/अंकेक्षकों का प्रतिवेदन;

(पांच) संचालक का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;

(छह) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) अथवा इसके संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख, यदि कोई हों।

(ग) **''अतिरिक्त पूंजीकरण''** से अभिप्रेत है वास्तविक रुप से किया गया पूंजीगत व्यय अथवा ऐसा व्यय जिसे परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त इन विनियमों के विनियम 18 के उपबन्धों के अनुसार स्वीकार किया गया हो।

(घ) **''अंकेक्षक''** से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों अथ्वाअध्याय दस के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;

(ङ) **''उपलब्धता''** से, किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी दी गई समयावधि हेतु, अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत् पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे दिए गए समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा;

(च) **''बैंक दर ''** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की गई आधार ब्याज दर या तत्समय प्रवृत्त इसका कोई प्रतिस्थापन, 350 आधार बिन्दुओं को जोड़कर;

(छ) **''हितग्राही''** से अभिप्रेत है दीर्घ–अवधि, मध्यम–अवधि अथवा लघु–अवधि के पारेषण उपभोक्ता जिनकी विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अधीन किया गया हो;

(ज) ''**पूंजीगत लागत**'' से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 17 द्वारा अवधारित किया गया हो;

(झ) **'कानून में परिवर्तन** '' से अभिप्रेत है निम्न में से किसी भी घटना का होनाः

(एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना; अथवा

(दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिर्वतन करना, निरस्त करना या उसे फिर से अविनियमित करना; अथवा

(तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(पांच) इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत् पारेषण प्रणाली से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई संपरिवर्तन;

(ञ) **''आयोग ''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोगः

(ट) **''संचार प्रणाली''** में सम्मिलित है मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संचार प्रणाली, जिसके अन्तर्गत भार प्रेषण तथा संचार योजना, स्काडा, वृहद् क्षेत्र मापन, तन्तुक प्रकाशीय संचार प्रणाली, सुदूर सीमान्त इकाई, निजी स्वचालित शाखा केन्द्र, रेडियो संचार प्रणाली तथा सहायक विद्युत् प्रदाय प्रणाली आदि सम्मिलित हैं जिनका उपयोग विद्युत् के राज्यान्तरिक पारेषण प्रबंधन में किया जाता है;

(ठ) ''**प्रतिस्पर्धी बोली**'' से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से परियोजना हेतु उपकरण का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टताओं, सेवाओं तथा वांछित कार्यों बाबत् बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध के निबंधन तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, सम्मिलित हैं तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी आमंत्रित किया जाता

है;

(ड) **"पृथक्कृत तिथि"** से वर्ष के 31 मार्च की तिथि अभिप्रेत है जो सम्पूर्ण परियोजना या उसके आंशिक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरांत समाप्त होती है तथा ऐसे प्रकरण में, जहां सम्पूर्ण परियोजना या उसके आंशिक भाग को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में घोषित किया गया हो, वहां पृथक्कृत तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के तीन वर्षों के बाद, समापन वर्ष की 31 मार्च होगी:

परन्तु यदि लिखित साक्ष्य के आधार पर परियोजना विकासक द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाए कि पृथक्कृत तिथि के भीतर ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं उसके द्वारा पूंजीकरण किया जाना संभव न था तो आयोग द्वारा पृथक्कृत तिथि में विस्तार भी किया जा सकेगा;

(ढ) "**दिवस** " से अभिप्रेत है, 24 घंटों की निरंतर अवधि जो 00:00 बजे से प्रारंभ होती है;

(ण) **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि"** से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है, 00:00 बजे से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित की गई तिथि जिसके अन्तर्गत पारेषण प्रणाली का कोई तत्व, सफल प्रभारण तथा परीक्षण परिचालन के उपरान्त तथा संचार संकेत के प्रेषण छोर से प्राप्ति छोर तक पहुंच उसके निर्धारित वोल्टेज स्तर पर नियमित कार्यरत सेवा: परन्तु –

(एक) जहां पारेषण तन्तुपथ अथवा विद्युत् उपकेन्द्र किसी विशिष्ट विद्युत् उत्पादक से विद्युत् के निष्क्रमण हेतु समर्पित हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादक केन्द्र तथा विद्युत् पारेषण प्रणाली को यथासंभव व्यावहारिक रूप से साथ–साथ क्रियाशील करने के प्रयास करेंगे तथा इसे समुचित कार्यान्वयन अनुबंध के माध्यम से विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य इसका विनियमन किया जाना सुनिश्चित करेंगे:

(दो) ऐसी दशा में, प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली या फिर इसके किसी तत्व का नियमित सेवा में क्रियान्वन से प्रतिबाधित हो जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उसके सामग्री प्रदायक या उसके ठेकेदार उत्तरदायी न हों, परन्तु विलम्ब का कारण संबंधित विद्युत् उत्पादक केन्द्र के क्रियाशील होने में विलंब के कारण हो या फिर ऊपरी–प्रवाह या अधो–प्रवाह पारेषण प्रणाली क्रियाशील होने के कारण हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से समुचित आवेदन के माध्यम से ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के

बारे में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुमोदन के बारे में सम्पर्क करेगा :

(तीन) संचार प्रणाली या उसके किसी तत्व के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 00:00 बजे से घोषित की गई वह तिथि जिसको कि, इसके बारे में किसी संचार प्रणाली या उसके किसी तत्व को सेवा में सन्निविष्ट किया जाए, जिसके अन्तर्गत स्थल स्वीकृति परीक्षण के क्रियान्वन पश्चात् ध्वनि तथा तत्संबंधी नियंत्रण हेतु आंकड़े के अन्तरण सम्मिलित हैं, जैसा कि इसे तत्संबंधी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाए;

(त) ''**अपूंजीकरण**'' से विद्युत्–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, इन विनियमों के अन्तर्गत अभिप्रेत है, परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कमी किया जाना, जो परिसम्पत्तियों को हटाये जाने /विलोपन से तत्संबंधी है जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें स्वीकार किया;

(थ) ''**अक्रियाशील करना**'' से अभिप्रेत है,केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों अथवा दोनों द्वारा इस आशय की सूचना प्रेषित करने के बाद कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन या अलाभकर परिचालन या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्पादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली को जिसके अंतर्गत संचार प्रणालीया उसकी कोई इकाई सम्मिलित है, सेवा से हटाया जाना;

(द) ''**तत्व**'' से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है कोई परिसम्पति जिसे इस परियोजना के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत पूंजी निवेश के अनुमोदन बाबत् परिभाषित किया गया है;

(ध) ''**किया गया व्यय**'' से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूंजी अथवा ऋण हो या फिर दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु, वास्तविक रुप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई भुगतान जारी न की गई हो;

(न) ''**विद्यमान परियोजना**'' से अभिप्रेत है परियोजना, जिसे दिनांक 1.4.2016 के पूर्व किसी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो;

(प) ''**विस्तारित जीवन काल**'' से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के उपयोगी जीवनकाल के बाद का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर अवधारित किया जाए;

(फ) **'विशेष आकस्मिक परिस्थिति''** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य किसी घटना या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई शामिल हैं जो विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने में बाधित करती हों तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न हों तथा इन्हें टाला भी नहीं जा सकता हो, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता संव्यवहारों को अपनाया गया होः

(क) दैवी घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्‌भेद भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों; अथवा

(ख) युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्यवाही, नाका बन्दी, नौका–अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्यवाही; अथवा

(ग) व्यापक औद्योगिक हड़तालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो;

(ब) **''ग्रिड संहिता''** से अभिप्रेत है समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (Indian Electricity Grid Code) Regulation, 2010 या उसका पश्चात्वर्ती कोई अधिनियमन**;**

(भ) **''कार्यान्वयन अनुबन्ध''** से अभिप्रेत है कोई अनुबंध, संविदा, परस्पर समझौते के ज्ञापन–पत्र, या फिर कोई ऐसा प्रलेख, जिसे किसी परियोजना के निष्पादन हेतु समन्वित रीति में (एक) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा (दो) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली के विकासक के मध्य निष्पादित किया जाए**;**

(म) **''पूंजी निवेश अनुमोदन''** से अभिप्रेत है विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संचालक मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का सम्प्रेषण जिसमें परियोजना की निधीयन व्यवस्था तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय–सीमा भी शामिल हैंः

परन्तु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना संचालक

मण्डल/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संकल्प/कार्यवाही विवरण का अनुमोदन जारी होने की तिथि से की जाएगी;

(य) "**किलोवाट ऑवर**" से अभिप्रेत है विद्युत् ऊर्जा की इकाई (यूनिट) से है जिसका मापन एक घंटे की अवधि के दौरान विद्युत् के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट मापन द्वारा उत्पादन या खपत के रूप में किया जाता है;

(यक) "**दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता**" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ अवधि पारेषण सेवा अनुबन्ध है, जिनमें राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पारेषण प्रभारों के भुगतान द्वारा माने गये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल हैं तथा इस पारिभाषिक शब्द का उपयोग नामोद्दिष्ट राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली क्रेताओं के लिए भी अदल–बदल कर किया जा सकता है;

(यख) "**मध्यम–अवधि पारेषण क्रेता**" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में, तीन माह से अधिक तथा 3 वर्ष तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो;

(यग) "**नवीन परियोजना**" से अभिप्रेत ऐसी परियोजना जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त की जाए या जिसका प्राप्त किया जाना प्रत्याशित हो;

(यघ) "**अधिकारी** " से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(यङ) "**प्रचालन तथा संधारण व्यय**" से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति, मरम्मत, संधारण कल–पुर्जो, उपभोज्य सामग्रियों, बीमा तथा उपरिव्यय पर किये गये व्यय परन्तु इनमें ईंधन व्यय तथा जल प्रभार शामिल नहीं होंगे;

(यच) "**मूल परियोजना लागत**" से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(यछ) "**परियोजना**" से अभिप्रेत है कोई पारेषण प्रणाली जिसमें संचार प्रणाली भी शामिल है;

(यज) "**युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण**" से अभिप्रेत है किये गये पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यय, वित्तीय प्रबंध योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत तथा समय आधिक्य तथा ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत् उपयुक्त माना जाए, तर्कसंगत होने संबंधी सूक्ष्म परीक्षण । युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण करते समय आयोग द्वारा इस तथ्य की भी जांच–पड़ताल की जाएगी कि क्या पारेषण

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकनों तथा निर्णयों में सावधानी बरती गई है या फिर उसके द्वारा परियोजना के निष्पादन में भी सावधानी तथा सतर्कता बरती गई है;

(यझ) **''नियमित सेवा''** से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व को, सफल परीक्षण परिचालन पश्चात् तथाइस आशय का एक प्रमाण–पत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किए जाने के पश्चात् उपयोग हहेतु संचालित करना;

(यञ) **''निर्धारित वोल्टेज''** से अभिप्रेत है विनिर्माता द्वारा रूपांकित वोल्टेज जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन हेतु रूपांकित की गई है तथा इनमें सम्मिलित है ऐसी निम्न वोल्टेज जिस पर पारेषण तन्तुपथ (लाईन) को प्रभारित किया गया हो, या फिर जिसे तत्समय दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से परामर्श द्वारा प्रभारित किया जा रहा हो;

(यट) **''अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि''** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि/तिथियां, जैसा कि इसके बारे में पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत् पारेषण सेवा अनुबंध में सहमति व्यक्त की गई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हों;

(यठ) **''सचिव''** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव;

(यड) **''लघु–अवधि पारेषण क्रेता''** से किसी पारेषण प्रणाली के प्रयोग के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधर पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की लघु–अवधि हेतु धारणाधिकार रखता हो;

(यढ) **'प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि''** से अभिप्रेत है परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि है, तथा जहां कोई भी तिथि दर्शाई न गई हो वहां पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;

(यण) **''पारेषण सेवा अनुबन्ध''** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ–अवधि/मध्यम–अवधि पारेषण क्रेता/क्रेताओं के मध्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु निष्पादित अनुबन्ध;

(यत) **''विद्युत्–दर या टैरिफ''** से अभिप्रेत है विद्युत् पारेषण हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ–साथ उसके निबंधन एवं शर्तें;

(यथ) **''विद्युत दर (टैरिफ)अवधि''** से अभिप्रेत है इन विनियमों के अंतर्गत वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण किया गया है;

(यद) **''पारेषण तन्तुपथ या लाईन''** का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा

(72) में उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(यध) **''पारेषण प्रणाली''** से अभिप्रेत है संबद्ध उप–केन्द्र, पारेषण तन्तुपथों तथा उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरण सहित या उसके बिना तन्तुपथ या तन्तुपथों का समूह;

(यन) **''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी''** से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे पारेषण तन्तुपथों को स्थापित करने अथवा उसका परिचालन करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;

(यप) **''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपलब्धता कारक''** से अभिप्रेत है राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा यथा प्रमाणित;

(यफ) **''निष्पादन परीक्षण तथा परिचालन परीक्षण''** से किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के संबंध में अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व को विद्युत् के चौबीस घंटे निरन्तर प्रवाह हेतु सफलतापूर्वक प्रभारित किया जाना, तथा सेवा के अन्तर्गत संचार संकेत के प्रेषण छोर से प्राप्ति छोर तक संप्रेषण मय सेवा स्थल पर आवश्यक मापयंत्र प्रणाली, सुदूर–मापयंत्र व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रणाली के बारे में भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस आशय बाबत् जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना;

(यब) **''उपयोगी जीवनकाल''** से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से निम्नानुसार अभिप्रेत होगा, अर्थात् :

(एक)	प्रत्यावर्ती विद्युत् धारा तथा दिष्ट विद्युत् धारा उपकेन्द्र	25 वर्ष
(दो)	गैसरोधी उपकेन्द्र	25 वर्ष
(तीन)	पारेषण तन्तुपथ {उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा को शामिल करते हुए}	35 वर्ष
(चार)	संचार प्रणाली	15 वर्ष

परन्तु यह कि प्रत्यावर्ती विद्युत् धारा तथा दिष्ट विद्युत् धारा उपकेन्द्रों तथा गैस रोधी उपकेन्द्रों के लिए, जिनके लिए निविदा संबंधी सूचना दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् जारी की जाएगी वहां इनका जीवनकाल 35 वर्ष माना जाएगाः

परन्तु यह और कि परियोजनाओं के उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसमें किसी वृद्धि के बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा;

(यभ) **''वर्ष ''** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष ।

4.2 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं

किए गए हैं, परन्तु अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हो, वे ही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में उउनके लिए दिए गए हैं

5. विद्युत्–दर का अवधारण :

5.1 आयोग, निम्नलिखित मामलों में अधिनियम की धारा 86 तथा धारा 36 के साथ पठित धारा 62 के अधीन, विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों का निर्धारण करेगा, जिसमें उसके निंधन व शर्ते सम्मिलित होंगी, अर्थात्:–:

(एक) राज्यान्तरिक विद्युत् पारेषण संबंधी;

(दो) अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार, जिन पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परस्पर समझौता नहीं किया जा सकता हो ।

5.2 अधिनियम के भाग दस में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत् के किसी अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण जिसमें दो राज्यों के क्षेत्र सन्निहित हों, ऐसे पारेषण के इच्छुक पक्षकारों द्वारा आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण ऐसे प्रकरणों में किया जा सकेगा जहां ऐसी प्रणाली के उपयोग का उद्देश्य पूर्णरूपेण अनुज्ञप्तिधारी के हित में हो तथा यह भी कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता हो ।

6. विद्युत्–दर अवधारण के सिद्धांत :

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों के मार्गदर्शन का अनुसरण किया गया है।

6.2 इन विनियमों का आशय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण पत्र, कंपनी कानून की अर्हता के अनुसार तैयार करने होंगे जो उसे आयोग को विनियम 9.1 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करने होंगे । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञात किया गया प्रोत्साहन, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये परिचालन मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों से तत्संबंधी निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही विचार में लिया जाएगा।

6.3 इन विनियमों में विर्निष्ट बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अपनाया जाना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकुशल कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना तथा हितग्राहियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है । टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं । स्वीकार्य विद्युत्–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग पुरस्कार के रूप में स्वयं के पास रखने की अनुमति प्रदान की गई है । इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

6.4 केवल ऐसे पूंजी–निवेश तथा पूंजीगत व्यय, जो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगे, को ही विद्युत्–दर (टैरिफ) के माध्यम से वसूली किये जाने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे। इससे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त पूंजी निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

7. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया :

7.1 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन–पत्र इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए ।

7.2 आयोग को सदैव या तो स्वप्रेरणा पर अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा उसके द्वारा ऐसा अवधारण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो कि विनिर्दिष्ट की जाएगी;

परन्तु ऐसे विद्युत्–दर (टैरिफ) के साथ उससे संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को समय समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

7.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्ररूपों में, जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

7.4 आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं ऐसी रीति में, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को वह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए {कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित}। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से सात कार्यकारी दिवस के अंदर अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण–पत्र, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के सहित अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियों के साथ उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय उसके, जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाए ।

7.8 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की अर्हताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार

से अपर्याप्त हो, तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया गया हो, आवेदन को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एक माह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया जाएगा ।

7.9 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से याचिका दायर करने की तिथि से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई समयावधि) के भीतर तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघो को शामिल करते हुए, प्राप्त किए गए सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगा । आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा ।

8. विद्युत् दर (टैरिफ) अवधारण की विधि तथा उसके सत्यापन :

8.1 आयोग, समय–समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधियों का निर्धारण करेगा । विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान ही लागू होंगे । इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत् दर (टैरिफ) अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त आगामी विद्युत्–दर (टैरिफ) दिनांक एक अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि हेतु वैध रहेंगे।

8.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली हेतु किया जाएगा।

8.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दायर की जाएगी । आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा है, के दौरान पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रूप से उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर की जाएगी । तथापि, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार के असामान्य तथा अनियंत्रणीय अन्तर पर आयोग द्वारा अपने स्वविवेक अनुसार विचार किया जा सकेगा ।

8.4 आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) का सत्यापन निम्न अनियन्त्रणीय मानदण्डों के निष्पादन के आधार पर कराया जाएगा :

(एक) विशेष आकस्मिक परिस्थितियां

(दो) कानून में परिवर्तन

परन्तु अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक विद्युत् उत्पादक स्टेशन अथवा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अक्रियाशील होने के कारण समय में वृद्धि अथवा मूल्य में वृद्धि

के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रभाव को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी वसूली विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य क्रियान्वयन अनुबंध के माध्यम से की जानी चाहिए :

परन्तु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली को विद्युत् उत्पादक केन्द्र की अनुसूचित प्रचालन तिथि को क्रियाशील नहीं किया जाता हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादक केन्द्र पर स्वयं की व्यवस्था के माध्यम से तथा लागत पर निष्क्रमण की तब तक व्यवस्था करेगा जब तक कि सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को क्रियाशील न कर दिया जाए।

8.5 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रणीय मानदण्डों के कारण होने वाले किसी वित्तीय लाभ का बंटवारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों के मध्य क्रमशः 2:1 के अनुपात में मासिक आधार पर वार्षिक मिलान के समय किया जाएगा ।

8.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनियंत्रणीय कारकों के कारण वित्तीय लाभों तथा हानियों को दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को अन्तरित किया जाएगा ।

8.7 यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) सत्यापन उपरान्त अवधारित की गई विद्युत्–दर से अधिक हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने दीर्घ–अवधि क्रेताओं को इस प्रकार वसूल की गई अधिक राशि का प्रत्यर्पण इन विनियमों के विनियम 8.9 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार करेगा ।

8.8 यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) सत्यापन पश्चात् अवधारित विद्युत्–दर से कम हो, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से इन विनियमों के विनियम 8.9 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आयोग द्वारा सत्यापन याचिका को दायर किए जाने संबंधी निर्धारित की गई समय–सीमाओं का परिपालन करते हुए कम वसूल की गई राशि की वसूली करेगा । ऐसे प्रकरण में जहां यह पाया जाए कि सत्यापन याचिका दायर किए जाने में विलंब के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है, वहां कम वसूल की गई राशि पर ब्याज देय नहीं होगा ।

8.9 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा कम वसूल की गई राशि तथा अधिक वसूल की गई राशि को मय साधारण ब्याज के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को लागू बैंक दर के बराबर राशि की वसूली या प्रत्यर्पण को आयोग द्वारा जारी किये गये विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश की तिथि से छः माह के भीतर किया जाएगा ।

8.10 बहुवर्षीय विद्युत्–दर (टैरिफ) याचिका की प्रस्तुति हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतिलिपि में मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित विनिर्दिष्ट प्ररूपों में इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से साठ दिवस के भीतर की

जाएगी ।

8.11 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये अनुसार हार्ड तथा साफ्ट प्रति में मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित इन्हीं प्ररूपों में प्रतिवर्ष दिनांक 15 नवम्बर तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण :

9.1 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने होंगे । वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा अनुज्ञप्ति शर्तो की सूचना सम्बन्धी अर्हताओं का भी परिपालन करना होगा ।

9.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग स्व प्रेरणा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

10. विद्युत्–दर अवधारण में अंतराल :

10.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में, विद्युत्–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत्–दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा । आयोग, अपना समाधान हो जने पर इस हेतु लिखित में कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही, विद्युत्–दर में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

10.2 इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में वसूल किए जाने के लिए अनुज्ञात व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत्–दर (टैरिफ) में समायोजन के अध्यधीन होगी, यदि आयोग का यह समाधन हो जाता है कि कोई राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है ।

11. सुनवाई :

विद्युत्–दर (टैरिफ) आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया, समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट

किए गए अनुसार की जाएगी।

12. आयोग के आदेश :

12.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों का मूल्यांकन कर सके ।

12.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा ।

13. अनुमोदित विद्युत्–दर (टैरिफ) से निम्न दर प्रभारित करना :

किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न विद्युत्–दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी । ऐसी दशा में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उन हितग्राहियों को टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर 01.04.2016 को या फिर तत्संबंधी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में बैंक दर होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शास्ति के प्रत्यर्पण की जाएगी।

14. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा :

14.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नियतकालिक विवरणिकाएं जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं जिनमें परिचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु प्रस्तुत करेगा ।

14.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा के

साथ–साथ अंकेक्षित लेखों के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय – दो

विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारणा के सिद्धान्त तथा पद्धति

15. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी याचिका :

15.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय – 1 में उपबंधों के परिपालन में ऐसे प्ररूपों में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय–समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण बावत एक याचिका दायर करेगा । ये सिद्धांत इन विनियमों के प्रवृत होने की तिथि से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक कार्यान्वित किये जाएंगे ।

15.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ–अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2016 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.3.2016 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत्–दर (टैरिफ) का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत्–दर से अधिक अथवा कम हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अथवा उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य बैंक दर पर साधारण ब्याज सहित छः माह के भीतर करेगा ।

16. केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग के सिद्धान्त :

आयोग ने इन विनियमों की संरचना में केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा उनकी उसकी अधिसूचना दिनांक 21.02.2014 द्वारा जारी टैरिफ विनियम संबंधी निबंधन एवं शर्तें, वर्ष 2014 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों तथा पद्धतियों संबंधी आदेश, जो दिनांक 01.04.2014, से प्रभावशील है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

17. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत संरचना :

17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(क) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रभार, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ऋण पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा –

(एक) लगाई गई 70% निधि के बराबर, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा

(दो) लगाई गई निधि के 30% से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त इसे स्वीकार किया गया हो, विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेगा ।

(ख) निम्नलिखित उच्चतम मानदण्डों के अध्यधीन रहते हुए प्रारंभिक कल–पुर्जों की पूंजीकृत राशि :–

(एक) पारेषण तन्तुपथ – 1.00 प्रतिशत

(दो) पारेषण उपकेन्द्र (हरित क्षेत्र) – 4.00 प्रतिशत

(तीन) पारेषण उपकेन्द्र (भूरा क्षेत्र) – 6.00 प्रतिशत

(चार) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट विद्युत् धारा केन्द्र (स्टेशन–4.00 %

(पांच) गैस–रोधी उपकेन्द्र – 5.00 प्रतिशत

(छह) संचार प्रणाल – 3.5 प्रतिशत

परन्तु :

(एक) जहां आयोग द्वारा प्रारंभिक कलपुर्जों के लिए मानदण्डीय मापदण्डों का प्रकाशन पूंजीगत लागत हेतु मानदण्डीय मापदण्डों के भाग के रूप में किया गया हो, वहां ऐसे मापदण्ड उपरोक्त विनिर्दिष्ट किए गए मानदण्डों के अपवर्जन के लिए लागू होंगे :

(दो) जहां कहीं विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा कोई पारेषण उपकरण विद्युत् उत्पादन परियोजना के रूप में धारित किया गया हो, वहां ऐसे उपकरणों बाबत् प्रारंभिक कलपुर्जों के लिए उच्चतम मानदण्ड इन विनियमों के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए निर्दिष्ट उच्चतम मानदण्डों के अनुसार होंगे ।

(ग) विनियम 18 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय :

परन्तु वपरिसम्पत्तियां को जा परियोजना का भाग हों, परन्तु उपयोग में न हों, पूंजीगत लागत से पृथक् रखा जाएगा ।

17.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त परीक्षण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों पर आधारित की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग न किया जाता हो, युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय, वित्त–प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत आधिक्य तथा अन्य ऐसे विषय शामिल किये जाएंगे जैसे कि ये आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं :

परन्तु यह और भी कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध में वास्तविक व्यय की किसी उच्चतम सीमा का प्रावधान हो, वहां आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत् अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2016 के पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित की गयी हो, वहां अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा ।

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रकरणों में जहां मानदण्डीय मापदण्ड निर्दिष्ट किये गये हों, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी मानदण्डीय मापदण्डों से पूंजीगत लागत में वृद्धि के संबंध में ऐसे मानदण्डीय मापदण्ड से अधिक लागत को अनुज्ञेय किये जाने बाबत, आयोग की संतुष्टि हेतु कारण प्रस्तुत करेगा।

17.3 आयोग द्वारा लागत अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह

आवश्यक समझे, विशेषज्ञ परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा ।

17.4 पूंजी एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को टैरिफ अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, यदि बशर्ते ऐसी कार्यवाही विद्युत्–दर (टैरिफ) को नकारात्मक तौर पर प्रभावित न करे । इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं को ऐसे अनुपात में, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित किया जाएगा ।

17.5 **निर्माण कार्य के दौरान ब्याज** :

(एक) निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज की गणना ऋण से तत्संबंधी ऋण निधि की संयोजन तिथि से तथा अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी ।

(दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी को इस प्रकार के विलंब हेतु विस्तृत औचित्य मय सहायक अभिलेखों के निधि की चरणबद्धता को शामिल करते हुए प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 8.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि वास्तविक ब्याज पर केवल निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज को अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से परे विलम्ब उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा जैसा कि यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर पाया जाए, जिसके बारे में निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त जांच–पड़ताल पूर्व में की गई हो।

17.6 **निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय :**

(एक) निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य तिथि तथा अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक पूर्व–परिचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु निर्माणाधीन अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक की अवधि तक निक्षेप राशियों को अथवा अग्रिम राशियों को या फिर अन्य प्राप्तियों

के कारण अर्जित राजस्व के बारे में निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

(दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में निर्माणाधीन अवधि के दौरान विलंब के कारण आनुषंगिक व्ययों की अतिरिक्त लागतों की दशा में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी विलम्ब अवधि के दौरान तथा विलंब से तत्संबंधी परिनिर्धारित क्षति जिनकी वसूली की गई हो या फिर जिनकी वसूली की जाना अपेक्षित हो, विस्तृत औचित्य दर्शाते हुए मय सहायक, अभिलेखों के, आनुषंगिक व्यय के विवरणों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 8.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि जहां विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित किसी अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक पर आरोप्य हो वहां ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक से परिनिर्धारित क्षति बाबत की गई वसूली को पूंजीगत लागत की गणना हेतु लेखबद्ध किया जाएगा ।

(तीन) ऐसी दशा में, जहां अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के परे समयाधिक्य यथोचित रूप से युक्तियुक्त होने के बाद अनुज्ञेय न हो वहां लागत में परिवर्तन के कारण समयाधिक्य से तत्संबंधी समय वृद्धि के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदायक या ठेकेदार के साथ सम्पन्न अनुबंधों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान के होते हुए भी पूंजीकरण से अपवर्तित किया जा सकेगा।

18. **अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण** :

18.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, नवीन परियोजनाओं या फिर किसी विद्यमान परियोजना के बारे में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त पृथक्कृत तिथि तक किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगाः

(क) अनुन्मोचित दायित्व जिनका किसी भविष्यगामी तिथि को भुगतान किया जाना मान्य किया गया हो;

(ख) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो;

(ग) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के किसी आदेश अथवा डिक्री के परिपालन में दायित्व;

(घ) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी विद्यमान कानून के परिपालन में; तथा

(ङ) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 17.1(ख) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जो की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतुः

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत परिसम्पत्तिवार कार्यों/कार्यवार सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण मय, व्यय के, प्राक्कलनों के अनुन्मोचित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

18.2 पृथक्कृत तिथि के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय, आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन रहते हुए, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

(क) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के किसी अथवा डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु;

(ख) कानून में किसी परिवर्तन के कारण अथवा विद्यमान कानून के परिपालन में;

(ग) रिले, नियंत्रण तथा उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत् तन्तुपथ संवाहक संसूचना डीसी बैटरियां, अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण, प्रतिस्थापन दोष में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण को बदला जाना, टावर सुदृढ़ीकरण, संचार उपकरण, चीनी–मिट्टी रोधियों को पॉलीमर रोधियों से बदला जाना, आकस्मिक पुर्नस्थापना प्रणाली, रोधियों की सफाई हेतु अधोसंरचना, क्षतिग्रस्त उपकरणों की पुर्नस्थापना जो बीमा के अन्तर्गत न आता हो, अतिरिक्त व्यय जो पारेषण प्रणाली के सफल तथा दक्ष प्रचालन हेतु, किया जाना आवश्यक हो गया हो।

(घ) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी व्यय जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों के समुचित शासकीय अभिकरणों द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो;

(ड.) किसी पृथक्कृत तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों के बारे में दायित्व ऐसे किन्हीं अनुन्मोचित दायित्वों के विवरण के युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त संवेष्टन (पैकेज) की कुल अनुमानित लागत, किसी भुगतान को रोकने के बारे में कारण दर्शाना तथा ऐसे भुगतानों को मुक्त

करना, आदि ।

(च) पृथक्कृत तिथि के उपरान्त, आयोग द्वारा कार्यों के बारे में कोई दायित्व जो वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा के अन्तर्गत होगा;

परन्तु किसी भी ऐसे व्यय का, जिसका दावा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा प्रचालन एवं संधारण व्ययों तथा क्षतिपूर्ति रियायत के अन्तर्गत किया गया हो, इस विनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

18.3 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के मामले में, अपूंजीकरण की तिथि की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा तत्संबंधी ऋण के साथ–साथ पूंजी को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि तथा पूंजी की राशि में से उस वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूंजीकरण घटित हो जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उस वर्ष को सम्यक रूप से विचार में लेते हुए जब इसका पूंजीकरण किया गया हो, द्दघटाया जाएगा ।

19. **नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण** :

19.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय, व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति–पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत माना जाए, संलग्न किया जाएगा ।

19.2 जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हो, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वार सुसंगत समझे जाएंगे, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा ।

19.3 किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों के युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन परन्तु अवमूल्यन के

विरूद्ध अग्रिम को सम्मिलित करते हुए, को घटाकर स्वीकार किया गया हो, विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा ।

20. **ऋण–पूंजी अनुपात** :

20.1 ऐसी किसी परियोजना के संबंध में जिसे 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, वहां ऋण–पूंजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में 70:30 माना जाएगा । यदि वास्तविक रूप से निवेश की पूंजी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो, वहां 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु :

(एक) जहां निवेश की गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

(दो) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में नामोद्दिष्ट किया जाएगा :

(तीन) ऋण : पूंजी अनुपात के प्रयोजन हेतु परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूंजी संरचना का भाग नहीं माना जाएगा ।

व्याख्या : अधिमूल्य की बाबत्, यदि कोई हो, जिसकी उगाही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु की गयी हो, शेयर पूंजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधानों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि में से किया गया हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ उसी दशा में की गई गणना हेतु प्राप्त की गई पूंजी के रूप माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत् पारेषण प्रणाली, के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया है ।

20.2 ऐसी दशा में, जहां पारेषण प्रणाली को जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनज्ञात किया गया ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात पर विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विचार किया जाएगा ।

20.3 ऐसी दशा में, जहां पारेषण प्रणाली को जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के लिए ऋण : पूंजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋण : पूंजी अनुपात का

अनुमोदन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई वास्तविक जानकारी के आधार पर किया जाएगा ।

20.4 ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 1.4.2016 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो , जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 20.1 में विनिर्दिट रीति में सेवाकृत किया गया जाएगा।

21. **पारेषण विद्युत्–दर** :

राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत विद्युत् के पारेषण में वार्षिक स्थाई लागत की वसूली हेतु पारेषण प्रभार में विनियम 22 में निर्दिष्टानुसार तत्व सम्मिलित होंगे ।

22. **वार्षिक स्थाई लागत**

किसी पारेषण प्रणाली की वार्षिक स्थाई लागत में जिसमें उसकी संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, निम्न घटक सम्मिलित होंगे :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(ग) अवमूल्यन;

(घ) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार;

(ड.) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज; तथा

(च) प्रचालन तथा संधारण व्यय ।

23. **पूंजी पर प्रतिलाभ** :

23.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 20 में अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी ।

23.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार सकलबद्ध किया जाएगाः

परन्तु :

(एक) ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिन्हें 1 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील किया जाए, उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ

अनुज्ञात किया जाएगा यदि ये परियोजनाएं **परिशिष्ट–1** में दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाएं:

दो) 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती हैं, भले ही इसके कारण जो भी हों:

(तीन) 0.50 प्रतिशत की दर से पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि पारेषण परियोजना का कोई तत्व निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उक्त विशिष्ट तत्व के क्रियाशील किये जाने पर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड के अन्तर्गत प्रणाली का परिचालन लाभन्वित होगा:

(चार) किसी नवीन परियोजना हेतु प्रतिलाभ की दर को एक प्रतिशत की दर से ऐसी अवधि हेतु जैसा कि इसके बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए कम कर दिया जाएगा यदि पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी आंकड़े, भार प्रेषण केन्द्र अथवा सुरक्षा प्रणाली तक सुदूर मापयंत्र व्यवस्था, को क्रियाशील किये बगैर, घोषित किया जाना पाया गया हो:

(पांच) जब कभी भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर पारेषण प्रणाली में उपरोक्त अर्हताओं का अभाव पाया जाता हो तो पूंजी पर प्रतिलाभ को तब तक के लिए, जब तक कि यह कमी की दरें, 1% की दर से कम कर दिया जाएगा जब तक यह कमी जारी रहे।

23.3 पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर को, जैसा कि आयोग द्वारा इसे विनियम 23.2 द्वारा अनुज्ञात किया गया हो तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ सकलीकृत किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी द्वारा सुसंगत वित्त अधिनियमों के प्रावधानों से संरेखित प्रभावी कर दर पर संबंधित वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से किए गए कर भुगतान के आधार पर माना जाएगा । अन्य आय प्रवाह पर वास्तविक आयकर, विलम्बित कर (अर्थात, गैर–पारेषण उत्पादन व्यापार से प्राप्त आय) को शामिल करते हुए, को ''प्रभावी कर दर '' की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

23.4 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

(क) पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर $= \frac{\text{आधार दर}}{28}$

1–t

जहां 't' इस विनियम के उपखण्ड 23.3 के अनुसार प्रभावी कर दर है तथा इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ तथा भुगतान की जाने वाली कर राशि के आधार पर कम्पनी को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु लागू सुसंगत वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों से संरेखित आनुपातिक आधार पर, गैर–पारेषण व्यापार से आय को असम्मिलित करते हुए तथा उस पर तत्संबंधी कर के आधार पर की जाएगी । ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान कर रहा हो, वहां "t" को न्यूनतम वैकल्पिक कर, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए माना जाएगा ।

उदाहरण :

(एक) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान 20.96 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो, वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = 15.50 / (1 – 0.0.2096) =19.610प्रतिशत होगी।

(दो) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, जो सामान्य निकाय कर का भुगतान, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो वहां :

(क) यदि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विद्युत् पारेषण व्यापार से अनुमानित सकल आय रू. 1000 करोड़ हो,

(ख) तथा उपरोक्त राशि पर अनुमानित अग्रिम कर की राशि रू. 240 करोड़ हो, वहां

(ग) वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रभावी कर दर = रू. 240 करोड़ / रू0 1000 करोड़ = 24 प्रतिशत होगी ।

(घ) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = $\frac{15.50}{(1-0.24)}$ = 20.395 प्रतिशत होगी।

(तीन) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वास्तविक भुगतान किए गए कर के आधार पर, मय अतिरिक्त कर मांग के, उस पर ब्याज की राशि को जोड़कर पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को सत्यापित किया जाएगा जिसे यथोचित तौर पर कर के किसी प्रत्यर्पण हेतु, किसी वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक सकल आय पर, विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक से संबंधित, आयकर विभाग से प्राप्त की गई किसी ब्याज राशि को सम्मिलित करते हुए, समायोजित किया जाएगा । तथापि, किसी शास्ति की राशि, यदि कोई हो, जो किसी जमा की गई राशि के विलंबित भुगतान या निर्धारित कर राशि से कम जमा की गई राशि से उद्भूत हो, का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा नहीं किया जाएगा । पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर की कम वसूल की गई या अधिक वसूली को, सत्यापित किए जाने के उपरान्त

वर्ष–दर–वर्ष आधार पर दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से राशि की वसूली या प्रत्यर्पण किया जाएगा ।

24. **ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार** :

24.1 विनियम 20 में दर्शाई गई रीति में प्राप्त किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे ।

24.2 दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचित अदायगी को घटाकर की जाएगी ।

24.3 विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को संबंधित वर्ष/अवधि हेतु अनुज्ञात किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा । परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण से संबंधित मामले में, अदायगी का समायोजन संचित अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचित अवमूल्यन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

24.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही किसी भी विलम्बकाल अवधि का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञात किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।

24.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली के विरूद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मान्य की जाएगी ।

24.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी ।

24.7 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक कि यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत न हा जाए तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2 : 1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

24.8 ऋणों के निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा ।

4.9 किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार यथा संशोधित मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका नहीं जाएगा ।

25. **अवमूल्यन/अवक्षयण** :

विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगीः

(क) अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना किसी पारेषण प्रणाली, उसकी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के बारे में उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से की जाएगी । किसी पारेषण प्रणाली में, उसकी संचार प्रणाली को शामिल करते हुए, विद्युत्–दर (टैरिफ) की दशा में, जिनके लिए एकल विद्युत्–दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना पारेषण प्रणाली की प्रभावी प्रचालन तिथि से, वैयक्तिक इकाईयों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तिथि की गणना पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों के बारे में जिनकी एकल विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा स्थापित क्षमता अथवा पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों की पूंजीगत लागत पर विचार करते हुए की जाएगी।

(ख) अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगी । पारेषण प्रणाली के बहुविध तत्वों के प्रकरण में, पारेषण प्रणाली

के भारित औसत जीवनकाल का अनुप्रयोग किया जाएगा । परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में, वर्ष के किसी भाग हेतु, अवमूल्यन को आनुपातिक आधार पर भारित किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (फंडिंग) सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा ।

(घ) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ङ) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन–योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा ।

(च) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरल रेखा विधि के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगीः

परन्तु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा ।

(छ) विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचित अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी । अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक कि संचित अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। तत्पश्चात्, अवशेष

अवमूल्यनयोग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

(ज) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा ।

(झ) पारेषण प्रणाली अथवा इसके किसी तत्व के बारे में संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के मामले में संचित अवमूल्यन को उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूंजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) में वसूल किये गये अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।

26. **पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार**:

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पटटे् (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पटट्ा प्रभार पटट्ा संबंधी अनुबंध के अनुसार होंगे बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तियुक्त माना गया हो।

27. **प्रचालन एवं संधारण व्यय**:

27.1 विद्युत् दर (टैरिफ) अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

27.2 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) से पारेषण तन्त्र मानदण्डों के बारे में मानदण्डीय व्ययों तथा वास्तविक व्ययों से संबंधित एकत्रित किये गये विवरणों का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक अनुज्ञात किये गये कर्मचारी व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय पूर्व नियन्त्रण अवधि के अन्तर्गत अनुज्ञात किये गये प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अनुसार एमपीपीटीसीएल द्वारा उपगत किये गये वास्तविक व्ययों से कहीं अधिक थे। इस प्रकार, वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 88 प्रतिशत थे।

27.3 कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों और प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों से संबंधित लागत घटकों पर उपरोक्त विनियमों के विनियम 37.1 के अनुसार विचार किया गया है। प्रचालन तथा संधारण व्ययों कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों तथा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को शामिल करते हुए पूर्व के चार वर्षों (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक) वार्षिक अंकेक्षित लेखों पर विचार करते हुए, प्राप्त किए गए हैं । उपरोक्त उल्लेखित चार वर्षों के

औसत व्यय को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आधार प्रारंभिक आकड़ा माना गया है । तत्पश्चात, प्रचालन एवं संधारण के आंकड़ों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2015–16 तक प्रयोज्य विनियमों में संबंधित वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक वृद्धि दर के अनुप्रयोग द्वारा की गई है ।

27.4 अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आधार वर्ष, अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु व्ययों में वृद्धि द्वारा, जैसा कि वे उपरोक्तानुसार अवधारित किए गए हों, वृद्धि कारक 4.14% की दर से जैसा कि इसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अपने टैरिफ विनियम, वर्ष 2014 हेतु, तत्संबंधी वित्तीय वर्षों हेतु माना गया है, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना हेतु अवधारित किया जाएगा ।

27.5 उपरोक्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाएं शामिल नहीं हैं। आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012(जी–38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे।

27.6 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा ।

27.7 ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को ट्रांसमिशन कम्पनी को वहन करना होगा ।

28. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार पर होगी तथा इसे 1.4.2016 की स्थिति में बैंक दर अथवा विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 के दौरान उक्त वर्ष की पहली अप्रैल को, जिसके दौरान पारेषण प्रणाली, संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, माना जाएगा ।

28.2 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही भुगतानयोग्य होगा, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण (एजेन्सी) से कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्त न भी

किया गया हो ।

29. **विदेशी विनिमय दर परिवर्तन** :

29.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निवेश विनिमय की अनावृत्ति को पारेषण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रुप से जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगी।

29.2 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि यह व्यय के रुप में, उद्भूत होता हो करेगा तथा इस प्रकार के विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रुपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजन किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

29.3 उक्त सीमा, जहां तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय अनावृत्ति का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रुपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदारों के कारण उद्भूत न हों।

29.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्यय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष–दर वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

30. **आय पर कर**::

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण क्रेताओं से आय–प्रवाहों पर कर की वसूली पृथक से नहीं की जाएगी ।

31. **टैरिफ आय** :

आयोग द्वारा विद्युत् के पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को टैरिफ आय माना जाएगा। टैरिफ आय में पारेषण प्रभार, प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, सम्मिलित होंगे ।

32. **गैर–टैरिफ आय** :

32.1 मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004,

समय–समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'गैर–टैरिफ आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा । गैर–टैरिफ आय में पूंजी निवेश, सावधि जमा राशि तथा अन्य जमा राशियों एवं अन्य कोई गैर–टैरिफ आय शामिल की जाएगी।

32.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए,` आय माना जाएगा ।

33. **विलंब भुगतान अधिभार** :

ऐसे मामलों में, जहां पारेषण तथा अन्य प्रभारों से संबंधित देयकों के भुगतान में, देयकों की प्रस्तुति तिथि से 60 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रति दिवस विलंब हेतु 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित कर सकेगा ।

34. **छूट** :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अन्तरण/क्षेत्रीय लेन–देन सकल व्यवस्थापन के माध्यम से बिल प्रस्तुति के दो दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों की प्रस्तुति के एक माह के भीतर किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान किये जाने पर एक प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

35. **व्यवसाय योजना तथा पूंजी निवेश** :

35.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा इस संबंधि में जारी निर्देशों के अनुसार भार अभिवृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, विद्युत् प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मापयंत्रण (मीटरिंग) आदि, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय योजना तथा भौतिक लक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

35.2 प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य आगामी विचाराधीन वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि में अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों से दीर्घ–अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिनके लिए प्रस्तावित मुख्य कार्य (योजनाएं) अन्तर्संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में

पूर्ण लाभ पहुंचाएंगे । ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ केवल हितग्राहियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात ही प्रस्तुत की जाएंगी । यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ–अवधि

हितग्राहियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ–अवधि अनुबंधों का निष्पादन कर लेंगे।

35.3 आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान कर सकेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पूंजी निवेश योजना का आयोग
से अनुमोदन कराना होगा ।

35.4 अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी का अनुपात विनियम 20 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

अध्याय – तीन

पारेषण प्रणालियां

36. प्रचालन मानदण्ड :

36.1 **मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक** : सम्पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु यह कारक निम्नानुसार होगाः

एसी प्रणाली हेतु : टैरिफ अवधि हेतु 98.0 प्रतिशत

36.2 **प्रोत्साहन के लिए विचार हेतु** :

ए.सी प्रणाली हेतु : 98.5 प्रतिशत

परन्तु 99.75 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता के लिये प्रोत्साहन का भुगतान देय नहीं होगा।

36.3 **विद्युत् उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा खपत:**

एसी प्रणाली**:**

वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी खपत, आदि के प्रयोजन हेतु विद्युत् उपकेन्द्र में सहायक खपत को पारेषण हानियों का भाग माना जाएगा।

37. **प्रचालन तथा संधारण व्यय**

37.1 प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य लागत शामिल होंगे । प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं । इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक् से करेगा । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 27.5 के अनुसार किया जाएगा । प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगेः

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति 'बे' :

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
	तन्तुपथ (Lines)	**रूपये लाख /100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष**		
1	400 केवी तन्तुपथ	32.00	33.32	34.70
2	220 केवी तन्तुपथ	29.88	31.11	32.40
3	132 केवी तन्तुपथ	31.44	32.74	34.10
	बे (Bays)	**रूपये लाख / बे/ वर्ष**		
1	400 केवी बे	09.58	09.98	10.39
2	220 केवी बे	11.12	11.58	12.06
3	132 केवी बे	11.16	11.62	12.10

37.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 'बे' की संख्या तथा लाईन की 100 सर्किट किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त औसत द्वारा की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, जैसा लागू हो, अनुज्ञेय–योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक्–पृथक् प्रस्तुत करेगा ।

37.3 सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान पृथक् से विनियम 27.5 में किये गये प्रावधान अनुसार किया जाएगा।

38. **कार्यकारी पूंजी** :

विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित मदें शामिल होंगीः

(1) संधारण कलपुर्जों (स्पेअर्स) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 37.1 में निर्दिष्ट किया गया है;

(2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर के आधार पर की गई गणनानुसार
पारेषण प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियों की लागत; तथा

(3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु ।

39. **वार्षिक पारेषण प्रभार** :

39.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्ययों तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 17 से 30 सहपठित विनियम 36 से 38 के अनुसार अनुज्ञेय व्ययों एवं प्रतिलाभ के आधार पर की जाएगी ।

39.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके वार्षिक पारेषण प्रभारों की वसूली हितग्राहियों से विनियम 40 तथा 41 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा ।

40. **स्थाई प्रभारों की वसूली** :

40.1 पारेषण प्रणाली की स्थाई लागत की गणना वार्षिक आधार पर इन विनियमों में अन्तर्विष्ट मानदण्डों के अनुसार, इन्हें समुचित रूप से जोड़कर की जाएगी तथा प्रयोक्ताओं से इसकी वसूली पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर की जाएगी जिनके मध्य विनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार, इन प्रभारों का परस्पर बंटवारा किया जाएगा।

40.2 किसी पारेषण प्रणाली की दशा में, किसी कलेण्डर माह हेतु देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित कर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

(AFC X NDM/NDY) x (TAFM/NATSAF) (रूपये में)

जहां

AFC – वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

TAFM – एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, % (प्रतिशत) में, जिसकी गणना परिशिष्ट–3 के अनुसार की जाएगी,

NATSAF– मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, जैसा कि इसे कण्डिका 36.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है,

NDM – एक माह में दिवस संख्या,

NDY – एक वर्ष में दिवस संख्या ।

परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) के एक माह हेतु उसके पारेषण उपलब्धता कारक के प्राक्कलन पर आधारित देयक प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में समायोजन यदि कोई हों तो वे एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक के आधार पर तैयार किये जाएंगे जिन्हें सुसंगत माह के अंतिम दिवस से 30 दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

41. हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभार (टीएससी) भुगतानों में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतानः

41.1 यदि किसी पारेषण प्रणाली का सृजन किसी विशिष्ट दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही हेतु, जिसमें किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु समर्पित पारेषण तन्तुपथ भी शामिल हैं, किया गया हो तो ऐसी पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों का भुगतान, उक्त दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही द्वारा किया जाएगा ।

41.2 किसी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु, मासिक पारेषण प्रभारों को दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं द्वारा हिस्सेदारी हेतु निम्न सूत्र के अनुसार समुच्चय किया जाएगा :
किसी राज्यान्तरिक प्रणाली के अन्तर्गत एक माह हेतु उक्त पारेषण प्रणाली के लिये किसी दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता द्वारा भुगतान योग्य पारेषण प्रभार :

= (AFC x NDM/NDY) x CL/SCL

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

NDM = एक माह में दिवस संख्या,

NDY = एक वर्ष में दिवस संख्या,

CL = दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमता,

SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग।

41.3 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के मध्यम–अवधि प्रयोक्ताओं द्वारा उक्त मेगावाट के अनुपात में प्रभार का भुगतान किया जाएगा जिस हेतु, मध्यम–अवधि उपयोग राज्य पारेषण इकाई द्वारा उक्त माह हेतु अनुमोदित किया गया हो।

41.4 लघु–अवधि हितग्राही यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार प्रीाारों का भुगतान कर सकेंगे ।

41.5 किसी संयंत्र क्षमता से संबद्ध पारेषण प्रभार, जिस हेतु हितग्राही को चिन्हित तथा संविदाकृत नहीं किया गया हो, का भुगतान संबंधित उत्पादक कम्पनी द्वारा किया जाएगा ।

41.6 राष्ट्रीय विद्युत् नीति की धारा 5.8.10 में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये जाने वाले प्रयासों का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत् वितरण कम्पनियों के लिये वितरण हानि का प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट किया है। आयोग द्वारा जारी वितरण विद्युत्–दर संबंधी विनियमों में वितरण हानि स्तर का प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि म.प्र. शासन ने पारेषण हानि के संबंध में प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट नहीं किया है, तथापि आयोग एतद् द्वारा पूर्व वर्षों की वास्तविक पारेषण हानियों पर आधारित निम्न प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट करता है ताकि मापदण्डों तथा टैरिफ संबंधी विषयों पर संदर्भ उपलब्ध रहे :

लक्ष्यबद्ध पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19
प्रतिशत	2.82%	2.82%	2.82%

अध्याय–चार
विविध

42. अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि से प्राप्त कार्बन आकलन प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न रीति द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :

(क) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास रखी जाएगी ।

(ख) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के उपरान्त, प्राप्तियों का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों द्वारा समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा ।

43. **मानदण्डों से विचलन :**

43.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रभारों हेतु टैरिफ का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा :

(क) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य विद्युत्–दर (टैरिफ) जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित छूट कारक पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो ।

(ख) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू टैरिफ के अवधारण हेतु टैरिफ याचिका वार्षिक राजस्व आवश्यकता दायर करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

44. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :**

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को क्रियान्ति करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग किसी साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसा कार्य कर सकेगा उत्तरदायित्व संभल सकेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग की राय में कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजन से आवश्यक अथवा वांछनीय है।

45. **संशोधन करने की शक्तिः**

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबन्धों को उनमें कुछ जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन करने संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

46. **निरसन तथा व्यावृत्ति**

46.1 विनियम अर्थात्: ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आरजी–28(II), वर्ष 2012}'' क्रमांक 3359/मप्रविनिआ/2012 दिनांक 07.12.2012 जो राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 14.12.2012 द्वारा तथा संशोधनों के साथ सहपठित है जैसा कि यह विनियमों की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

46.2 इस विनियमों में की कोई भी बात आयोग की ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

46.3 इन विनियमों में की कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

46.4 इन विनियमों में की कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी रीति में, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐऐ कृत्योंका पालन कर सकेगा जो कि वह ठीक समझे।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव

परिशिष्ट–1

परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी निर्धारित समय–सीमा (विनियम–23)

1. परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी समय–तालिका की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निविदा जारी किये जाने संबंधी तिथि से इकाईयों की अथवा खण्ड (ब्लाक) पारेषण परियोजना के तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक जैसा कि वह लागू हो, की जाएगी।

2. निम्न पैरा तथा तालिकाओं में समय–सारणी, माह में दर्शाई गई है;

पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह में)	पहाड़ी क्षेत्र (माह में)
400 केवी डी/सी क्वाड (Quad) पारेषण तन्तुपथ	38	44
400 केवी डी/सी ट्रिपल (Triple) पारेषण तन्तुपथ	36	42
400 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	34	40
400 केवी एस/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	30	36
220 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	34	40
220 केवी डी/सी पारेषण तन्तुपथ	30	36
220 केवी एस/सी पारेषण तन्तुपथ	26	32
नवीन 220 केवी एसी उपकेन्द्र	24	27
नवीन 400 केवी एसी उपकेन्द्र	30	33
132 केवी पारेषण लाईन	22	28
नवीन 132 केवी एसी उपकेन्द्र	18	22

टीप :

(i) ऐसे प्रकरण में, जहां कोई योजना उपरोक्त उल्लेखित की परियोजनाओं का संयोजन हो, वह गतिविधि जिसकी अर्हकारी समय–सारणी अधिकतम समय–सीमा दर्शाती हो, वह समय–सीमा योजना हेतु सम्पूर्ण समय–सीमा मानी जाएगी।

(ii) ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण तन्तुपथ लाईन मैदानी क्षेत्र के साथ–साथ पहाड़ी क्षेत्र/बहुत कठिन क्षेत्र में आता हो, संयुक्त अर्हकारी समय–सारणी की गणना प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले तन्तुपथ की लम्बाई को अनुपातिक रूप से भारित करते हुए की जाएगी।

परिशिष्ट–2

अवमूल्यन अनुसूची

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति की विशिष्टताएं	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10 %)
		सरल रेखा विधि
अ	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	**0.00%**
ब	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
ए	भूमि में निवेश हेतु	**3.34%**
बी	स्थल की सफाई की लागत हेतु	**3.34%**
स	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
ए	निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरूम	**3.34%**
(ii)	अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं	**100.00%**
(iii)	कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग	**3.34%**
(iv)	अन्य	**3.34%**
बी	ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर)	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है	**5.28%**
(ii)	अन्य	**5.28%**
सी	स्विचगिअर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	**5.28%**
डी	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार का	**5.28%**
(ii)	खंभा प्रकार का	**5.28%**
ई	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	**5.28%**
एफ	बैट्रियां	**5.28%**
(i)	भूमिगत केबल, जाईंट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सम्मिलित कर	**5.28%**
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	**5.28%**
जी	फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया है	**5.28%**
एच	मापयंत्र (मीटर)	**5.28%**
आई	स्वचालित वाहन	**9.50%**
जे	वातानुकूलन संयंत्र	

(i)	स्थिर	**5.28%**
(ii)	वहनीय	**9.50%**
के (i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	**6.33%**
के (ii)	कार्यालय उपकरण	**6.33%**
के (iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग तथा उपकरण सम्मिलित कर	**6.33%**
के	पथ–प्रकाश फिटिंग्स	**5.28%**
एल	भाड़े पर प्रदान किये गये उपकरण	
(i)	मोटरों को छोड़कर	**9.50%**
(ii)	मोटरें	**6.33%**
एम	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च संवाहक प्रणाली	**6.33%**
(ii)	दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष	**6.33%**
एन	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	**15.00%**
ओ	अन्य सम्पत्तियां जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं	**5.28%**

एक माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की प्रक्रिया

(Procedure for Calculation of Transmission System Availability Factor for a Month)

1. एक कलेण्डर माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक अर्थात 'Transmission system availability factor for a calendar month-TAFM' अथवा टीएएफएम की गणना तत्संबंधी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) द्वारा की जाएगी तथा इसे संबंधित भार प्रेषण केन्द्र (Load Dispatch Centre) से पृथक–पृथक प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Corrent-AC) 'एसी' तथा उच्च वोल्टेज दिष्टधारा (High Voltage Direct Current- HVDC) या एचवीडीसी प्रणाली हेतु सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जाएगा तथा पारेषण प्रभारों के परस्पर बटवारे (Sharing) द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना प्रत्येक क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (regional transmission system) तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (inter regional transmission system) के लिए की जाएगी। टीएएफएम' की गणना के प्रयोजन से :

(i) एसी पारेषण तन्तुपथ (AC Transmission Lines) : एसी पारेषण तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ (Circuit) को एक तत्व (element) माना जाएगा।

(ii) अन्तःसम्बद्ध ट्रांसफार्मर (Inter- Connecting Transformers- ICTs) : प्रत्येक अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर संकोष (ICT Bank) या आईसीटी बैंक (तीन एकल फेज ट्रांसफार्मरों को एक साथ संयोजित करते हुए) एक तत्व (element) का गठन करेंगे।

(iii) स्थैतिक वार क्षतिपूरक (Static VAR Compensator-SVC) अथवा 'एसवीसी : एसवीसी मय एसवीसी ट्रांसफार्मर द्वारा एक तत्व (element) का गठन किया जाएगा। तथापि, प्रेरक मूल्यनिर्धारण (inductive rating) तथा संधारित्र मूल्यनिर्धारण (capacitive rating) को क्रमशः 50–50 प्रतिशत आकलन (credit) प्रदान किया जाएगा।

(iv) बस रिएक्टर (Bus Reactors)/ स्विचयोग्य लाईन रिएक्टर (switchable line reactors)- प्रत्येक बस रिएक्टर/स्विचबल लाईन रिएक्टर को एक तत्व माना जाएगा।

(v) उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा द्वि–ध्रुवीय संयोजन (HVDC Bi-Pole links)- एसवीडीसी संयोजन का प्रत्येक ध्रुव या पोल, दोनों छोरों पर सहायक उपकरण के साथ एक तत्व का गठन करेंगे ।

(vi) उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back to back station) : उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के प्रत्येक खण्ड को एक तत्व माना जाएगा। यदि संबद्ध

एसी तन्तु (AC line) (जो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के माध्यम से अन्तर्क्षेत्रीय विद्युत् के अन्तरण के लिए आवश्यक है) उपलब्ध न हो तो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र पृष्ठांसन्न खण्ड की भी अनुपलब्ध माना जाएगा।

2 पारेषण प्रणाली की प्रत्यावर्ती धारा (एसी) तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) भाग की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

एसी प्रणाली हेतु टीएएफएम प्रतिशत (% TAFM for AC system)

$$= \frac{o \times AVo + p \times AVp + q \times AVq + r \times AVr}{o + p + q + r} \times 100$$

एचवीडीसी प्रणाली हेतु टीएएफएम प्रतिशत (%TAFM for HVDC system)

$$= \frac{s \times AVs + t \times AVt}{S + t} \times 100$$

जहां

o = एसी तन्तपथों की कुल संख्या

AVo = एसी तन्तुपथों (AC lines) की ' o ' संख्या की उपलब्धता

p = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टरों की कुल संख्या

AVp = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टरों की ' p ' संख्या की उपलब्धता

q = अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मरों (ICTs) की कुल संख्या

AVq = अंतःसंबद्ध ट्रांसफार्मरों (ICTs) की ' q' संख्या की उपलब्धता

r = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की कुल संख्या

AVr = स्थौतिक वार क्षतिपूरकों की ' r' संख्या की उपलब्धता

s = एचवीडीसी ध्रुवों (HVDC poles) की कुल संख्या

AVs = एचवीडीसी ध्रुवों (HVDC poles) की ' s' संख्या की उपलब्धता

t = एचवीडीसी पृष्ठासन्न केन्द्र खण्डों (HVDC back to back station blocks) की कुल संख्या

AVt = एचवीडीसी पृष्ठासन्न केन्द्र खण्डों की 't' संख्या की उपलब्धता

3 पारेषण तत्वों (transmission elements) की प्रत्येक श्रेणी का भारिता कारक (weightage factor) निम्नानुसार होगा :

(क) एसी तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ हेतु (For each circuit of AC line) - अक्षतिपूरित तन्तुपथ (uncompensated line)हेतु प्रोत्कर्ष प्रतिबाधिता भारण (Surge Impedance Loading) तथा सर्किट किलोमीटर (ckt-km) का गुणनफल सर्किट किलोमीटर का गुणनफल

विभिन्न वोल्टेज स्तरों तथा चालक समाकृति (Conductor Configuration) हेतु प्रोत्कर्ष प्रतिबाधिता भारण (Surge Impedence Loading-SIL))या 'सिल' परिशिष्ट चार में दर्शाया गया है। तथापि वोल्टेज स्तर और/या चालक समाकृतियां (Conductor Configuration) परिशिष्ट–1 में सूचीबद्ध नहीं की गई हैं। अतएव, उपलब्धता गणना हेतु तकनीकी सोच–विचार के आधार पर उपयुक्त 'सिल' का उपयोग दीर्घ अवधि पारेषण क्रेताओं/नामोदिद्ष्ट या अन्तर्राज्यीय उपभोक्ता (Designated Inter State Consumer DIC) को सूचना प्रदान करते हुए दिया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति की गई एसी लाईन हेतु 'सिल' को तन्तुपथ (लाईन) की क्षतिपूर्ति पर विचार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

पार्श्व–पथन क्षति पूरित तन्तुपथ हेतु 'सिल' के घटे हुए मूल्य को रिएक्टर की स्थिति के अनुसार माना जाएगा। इसी प्रकार, श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति से युक्त तन्तुपथों के प्रकरण में, 'सिल' को क्षतिपूर्ति के प्रतिशत के रूप में माना जाएगा।

(ख) प्रत्येक उच्च दिष्ट धारा (HVDC) पोल हेतु – निर्धारित मेगावाट क्षमता x सर्किट किलोमीटर

(ग) प्रत्येक अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर संकोष (ICT Bank) हेतु– निर्धारित एमवीए क्षमता (rated MVA capacity)

(घ) स्थैतिक वार क्षतिपूरक (svc) हेतु–निर्धारित एमवीएआर क्षमता (MVA capacity) {प्ररेक (inductive) तथा संधारित्र (capacitive)}

(ड.) बस रिएक्टर/स्विचयोग्य लाईन रिएक्टर (Bus Reactor/switchable line reactors)- निर्धारित एमवीएआर क्षमता (rated MVA capacity)

(च) दो क्षेत्रीय ग्रिडों को संयोजित करने वाला एचवीडीसी पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back-to-back station)- प्रत्येक खण्ड की निर्धारित मेगावाट क्षमता

4 पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना भारिता कारक (weightage factor) उक्त अवधि के प्रत्येक तत्व हेतु विचाराधीन कुल घंटों की अवधि तथा अनुपलब्ध घंटों की

अवधि के आधार पर की जाएगी। पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु गणना के सूत्र परिशिष्ट–पांच के अनुसार होंगे।

5 अवरोध के अंतर्गत पारेषण तत्वों को निम्न कारणों से उपलब्ध माना जाएगा :

(i) अन्य पारेषण प्रणाली के संधारण अथवा निर्माण हेतु प्रणाली बंद किये जाने हेतु प्राप्त की गई सुविधा यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र मानी गई उपलब्धता अवधि को सन्निहित कार्य हेतु परिसीमित कर सकेगा, जैसा कि वह इसे युक्तियुक्त समझे।

(ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किसी पारेषण तन्तुपथ की आधिक्य वोल्टेज को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा चालू रिएक्टरों की हस्तचालित व्यवस्था द्वारा आपूर्ति बंद करना।

6 निम्न आकस्मिकताओं हेतु विचाराधीन अवधि के दौरान, पारेषण तत्वों की अवरोध अवधि को तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा –

(i) दैविक प्रकोप तथा आपदाग्रस्त घटनाएं, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के अवरोध का तत्व उपरोक्त घटनाओं के कारा से हैं, न कि रूपांकन की किसी असफलता के कारण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तत्व की पुनः स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय–पर विचार किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्व की पुनर्स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय के उपरांत लिए गये अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण लिया गया समय माना जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी विशेषज्ञ को युक्तियुक्त पुनर्स्थापना समय का अनुमान किये जाने हेतु परामर्श ले सकेगा। आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली (Emergency Restoration System) के माध्यम से पुनर्स्थापित किये गये सर्किटों को उपलब्ध कराया गया माना जाएगा।

(ii) किसी ग्रिड की घटना/विक्षेभ (disturbance) के कारण घटित अवरोध, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण न हो, उदाहरण के तौर पर अन्य किसी एजेन्सी के स्वामित्व वाले उपकेन्द्र तथा 'बे' में दोष जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तत्वों मतें अवरोध उत्पन्न करता हो, ग्रिड में विक्षेभ के कारण तन्तुपथों अन्तर्सयोजित ट्रांसफार्मरों आदि से विद्युत् आपूर्ति बंद होना। तथापि, यदि ग्रिड की घटना/विक्षोभ के उपरांत तत्व की पुनर्स्थापना क्षेत्रीय राज्य भार प्रेषण केन्द्र से निर्देशों की प्राप्ति के उपरांत भी युक्तियुक्त समय में उसे सामान्य स्थिति में लाते समय प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापना हेतु अवरोध अवधि बाबत् जारी किये गये दिशा–निर्देशों के उपरांत तथ्त्व को उपलब्ध न कराया गया माना जाएगा।

एसी लाईनों का 'सिल' मूल्य

{SURGE IMPEDANCE LOADING (SIL) OF AC LINES}

सरल क्र. S. No.	तन्तुपथ वोल्टेज (Line voltage) (kV)	चालक समाकृति (Conductor Configuration)	'सिल' (SIL) (MW)
1	765	Quad Bersimis	2250
2	400	Quad Bersimis	691
3	400	Twin Moose	515
4	400	Twin AAAC	425
5	400	Quad Zebra	647
6	400	Quad AAAC	646
7	400	Tripple Snowbird	605
8	400	ACKC (500/26)	556
9	400	Twin ACAR	557
10	220	Twin Zebra	175
11	220	Single Zebra	132
12	132	Single Panther	50
13	66	Single Dog	10

पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु उपलब्धता की गणना हेतु सूत्र

(FORMULAE FOR CALCULATION OF AVAILABILITY OF EACH CATEGORY OF TRANSMISSION ELEMENTS)

AV_0 (0 संख्या की एसी लाइनों की उपलब्धता)

{AV_0 (Availability of $_0$ no. of AC lines) } $= \sum_{i=1}^{o} \frac{W_i(T_i - T_{NAi})}{T_i} \Big/ \sum_{i=1}^{o} W_i$

AV_s (उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पोल की s संख्या की उपलब्धता)

{AV_s (Availability of $_s$ no. of HVDC pole)} $= \sum_{j=1}^{s} \frac{W_j(T_j - T_{NAj})}{T_j} \Big/ \sum_{j=1}^{s} W_j$

AV_q (अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मरों की q संख्या की उपलब्धता)

{AV_q (Availability of $_q$ no. of ICTs) $= \sum_{k=1}^{q} \frac{W_k(T_k - T_{NAk})}{T_k} \Big/ \sum_{k=1}^{q} W_k$

AV_r (स्थैतिक वार क्षतिपूरकों की r संख्या की उलपब्धता)

{AV_r(Availability of $_r$ no. of SVCs) } $= \left[\sum_{l=1}^{r} 0.5 \frac{W_I l(T_I l - T_{NAI l})}{T_i l} + \sum_{l=1}^{r} 0.5 \frac{W_C l(T_C l - AC^l)}{T_C l}\right] \Big/ [\sum_{l=r}^{r} 0.5\, W_I l + \sum_{l=r}^{r} 0.5\, W_C l]$

AV_p (स्विचयोग्य बस रिएक्टरों की p संख्या की उपलब्धता)

{AV_p(Availability of $_p$ no. of Switched = $\sum_{m=1}^{p} \frac{W_m(T_m - T_{NAm})}{T_m} \Big/ \sum_{m=1}^{p} W_m$

Bus reactor}

AV_t (उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्डों की t संख्या की उपलब्धता)

{AV_t (Availability of t no. of HVDC= $\sum_{n=1}^{t} \frac{W_n(T_n - T_{NAn})}{T_n} \Big/ \sum_{n=1}^{t} W_n$

Back to back Blocks}

जहां

W_i = *i* वे पारेषण परिपथ(transmission) हेतु भारिता कारक (Weightage factor)

W_j = j वे उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पोल (HVDC pole) हेतु भारिता कारक

W_k = *k* वे अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT) हेतु भारिता कारक

W_Il&W_Cl = *l* वे स्थैतिक वार क्षतिपूरक SVC के प्रेरक (inductive) तथा संधारित (capacitive) परिचालन हेतु भारिता कारक

W_m = m वें बस रिएक्टन हेतु भारिता कारक

W_n = n वें उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्ड हेतु भारिता कारक

T_i, T_j, T_k, T_Il, T_Cl, - विचाराधीन अवधि के अंतर्गत i वीं एसी लाईन, j वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole) *k* वें अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT) l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) {प्रेरक परिचालन (Inductive Operation),} l वें स्थैविकवार क्षतिपूरक (SVC) {संधारित परिचालन (Capacitive Operation)} *m* वें स्विचयुक्त बस रिएक्टर (Switched Bus Reactor) तथा n वें उच्चदाब दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्ड (HVDC back-to-back block) की कुल अवधि, {घटों में अवरोधों (outages) हेतु समय अवधि को छोड़कर जो पैरा 6 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य नहीं है}

$T_{NA}i$,$T_{NA}j$, $T_{NA}k$ - $T_{NAI}l$, $T_{NAC}l$, $T_{NA}m$, i वी एसी लाईन, j वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole), *k* वे अन्तः संबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT), l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) प्रेरक परिचालन (Inductive Operation), lवें स्थैविकवार क्षतिपूरक (SVC) संधारित परिचालन (Capacitive Operation), *m* वे स्विचयुक्त बस रिएक्टर (Switched Bus Reactor) तथा n वें उच्चदाब दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्ड (HVDC back-to-back block) हेतु अनुपलब्धता की अवधि घंटों में {अवरोधों (outages) हेतु समय अवधि को छोड़कर जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य नहीं है, जिसे पैरा 5 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार $T_{NA}n$ मानी गई उपलब्धता लिया गया है}